# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

**पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 44/2021** **दायर दिनांकः 20/09/2021**

उनवान

1. मनोहर बाई आयु 59 वर्ष पुत्री कृष्णबिहारी जाति ब्राहमण निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0 हाल निवासी पगारा तहसील गुना जिला गुना (म0प्र0)

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :–
प्रार्थीः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनाकः 14/05/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल सहरोद पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 487 का ख0नं0 12/1494 का रकबा 0.20 है0, ख0 नं0 14 का रकबा 1.79 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.99 है0 आराजी प्रार्थिया एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रार्थिया का घर पर बोलता नाम मनभर बाई होने के कारण प्रार्थिया का नाम मनाहेर बाई के स्थान पर मनभर बाई गलत दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थिया के

दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड ,पेन कार्ड, ग्राम पंचायत सहरोद के प्रमाण में सही नाम मनोहर बाई दर्ज है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम मनभर बाई के स्थान पर सही नाम मनोहर बाई दर्ज किया जावे। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम मनभर बाई के स्थान पर सही नाम मनोहर बाई दर्ज करवाया जाना सम्भव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पडेगा। अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम मनभर बाई के स्थान पर सही नाम मनोहर बाई दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम मनभर बाई के स्थान पर सही नाम मनोहर बाई दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 से pw 3 के शपथ पत्र पेश किये गये । pw 1 मनोहर बाई पुत्री कृष्णबिहारी जाति ब्राहमण निवासी सहरोद का शपथ पत्र पेश किया गया तथा सशपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी मनोहर बाई ने बताया कि ग्राम एवं माल सहरोद पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 487 का ख0नं0 12/1494 का रकबा 0.20 है0, ख0 नं0 14 का रकबा 1.79 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.99 है0 आराजी प्रार्थिया एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा

मेरा घर पर बोलता नाम मनभर बाई होने के कारण मेरा नाम मनोहर बाई के स्थान पर मनभर बाई गलत दर्ज कर दिया। जबकि मेरे दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, ग्राम पंचायत सहरोद के प्रमाण में सही नाम मनोहर बाई दर्ज है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में मेरा नाम मनभर बाई के स्थान पर सही नाम मनोहर बाई दर्ज किया जावे।

pw 2 कान्ती बाई पुत्री कृष्णबिहारी जाति ब्राहमण निवासी सहरोद द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया तथा सशपथ बयान लेखबद्ध किये गये। कान्ती बाई ने बताया कि ग्राम एवं माल सहरोद पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 487 का ख0नं0 12/1494 का रकबा 0.20 है0, ख0 नं0 14 का रकबा 1.79 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.99 है0 आराजी प्रार्थिया एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा मेरी बहिन का घर का बोलता नाम मनभर बाई होने के कारण मेरी बहिन का नाम मनोहर बाई के स्थान पर पर मनभर बाई गलत दर्ज कर दिया। जबकि मेरे दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, ग्राम पंचायत सहरोद के प्रमाण में सही नाम मनोहर बाई दर्ज है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में मेरा नाम मनभर बाई के स्थान पर सही नाम मनोहर बाई दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा।

pw 3 रामेश्वर पुत्र कृष्णबिहारी जाति ब्राहमण निवासी सहरोद द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया तथा सशपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी रामेश्वर ने बताया कि ग्राम एवं माल सहरोद पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 487 का ख0नं0 12/1494 का रकबा 0.20 है0, ख0 नं0 14 का रकबा 1.79 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.99 है0 आराजी प्रार्थिया एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा मेरी बहिन का घर का बोलता नाम मनभर बाई होने के कारण मेरी बहिन का नाम मनोहर बाई के स्थान पर पर मनभर बाई गलत दर्ज कर दिया। जबकि मेरे दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, ग्राम पंचायत सहरोद के प्रमाण में सही

नाम मनोहर बाई दर्ज है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में मेरा नाम मनभर बाई के स्थान पर सही नाम मनोहर बाई दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा।

3. अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम मनभर बाई के स्थान पर सही नाम मनोहर बाई दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

4. उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सहरोद की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 487 (प्रदर्श 1) ख0नं0 12/1494 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 14 रकबा 1.79 है0 कुल किता 2 रकबा 1.99 है0 आराजी में मनभरबाई पुत्री कृष्णबिहारी शामलाती खाते में हिस्सा 1/6 दर्ज खाता स्थित है। अन्य दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम आधार कार्ड (प्रदर्श 3ए) में मनोहर बाई पत्नि नारायणप्रसाद दर्ज है, आयकर विभाग का पेन कार्ड (प्रदर्श 4ए) में मनोहर बाई पुत्री कृष्ण बिहारी शर्मा दर्ज है। भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पहचान पत्र (प्रदर्श 7ए) में मनोहर बाई पत्नि नारायण प्रसाद शर्मा दर्ज है। यूको बैंक पास बुक (प्रदर्श 6ए) में मनोहर बाई पत्नि नारायण प्रसाद पांडे दर्ज है।

5. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

## —::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल सहरोद पटवार हल्का सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0 की खाता संख्या 487 का ख0नं0 12/1494 का रकबा

0.20 है0, ख0 नं0 14 का रकबा 1.79 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.99 है0 आराजी में सहखातेदार मनभरबाई पुत्री कृष्णबिहारी के स्थान पर मनोहर बाई उर्फ मनभरबाई पुत्री कृष्णबिहारी दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**